

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
::संशोधित आदेश::

भोपाल दिनांक ९ / ८ / 2023

क्र. IP/5/0005/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 26/07/2023 के द्वारा मेसर्स जेके टॉयर एंड इंडस्ट्रीज लि. द्वारा रू. 570.53 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, जिला मुरैना में स्थित बानमोर टॉयर प्लांट का विस्तार (फेज-2) संबंधी प्रस्ताव (DIP/2209270001) पर सुविधार्य स्वीकृति हेतु आदेश जारी किया गया है।

2/ उक्त दिनांक 26/07/2023 को जारी आदेश के बिन्दु क्र.1 निवेश प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत प्रदाय की गई सुविधा अंतर्गत टंकण त्रुटि के फलस्वरूप रोजगार गणक का लेख नहीं हो सका है।

3/ अतः उक्त आदेश के बिन्दु क्र. 1 में उल्लेखित सुविधा को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत

निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 33 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।

संशोधित स्वीकृति

निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 33 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।

4/ इकाई को प्राप्त अन्य सुविधाओं का लाभ आदेश दिनांक 26/07/2023 के अनुसार यथावत प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0005/2023/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ९ / ८ / 2023

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग चम्बल।
4. कलेक्टर, जिला- मुरैना।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स जेके टॉयर एंड इंडस्ट्रीज लि.
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।





प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग